

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
झॉसी मण्डल झॉसी।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/एन0ओ0सी0/ /2019-20 दिनांक- 18-07-2019

विषय:-एलन हाउस पब्लिक स्कूल ग्रोथ सेन्टर फेज-1 बिजौली-झॉसी को सी0बी0एस0ई0बोर्ड,  
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0 एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद, झॉसी में स्थित संस्था एलन हाउस पब्लिक स्कूल ग्रोथ सेन्टर बिजौली-झॉसी के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। समिति द्वारा जांचोपरान्त एलन हाउस पब्लिक स्कूल ग्रोथ सेन्टर बिजौली-झॉसी को सी0बी0एस0ई0, बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया।

अतः एलन हाउस पब्लिक स्कूल ग्रोथ सेन्टर बिजौली-झॉसी को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नॉमित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगे, और उनमे उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ट्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापस ले लिया जायेगा।

भवदीया,

(कुमुदलता श्रीवास्तव)

आयुक्त,

झॉसी मण्डल झॉसी।

तददिनांक-

पृष्ठांकन सं०/एन०ओ०सी०/1965-72 /2019-20

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।
3. जिलाधिकारी, झॉसी।
4. शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, झॉसी।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, एलन हाउस पब्लिक स्कूल ग्रोथ सेन्टर फेज-1 बिजौली-झॉसी।

(संजय यादव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
झॉसी मण्डल झॉसी।